DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAP NEW DELHI | FRIDAY, 17 FEBRUARY, 2023 ED----------

Demolition: Provide tents and food to those affected, says CM

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Chief Minister Arvind Kejriwal on Thursday directed the South district administration to provide families affected by the recent DDA demolition drive in Mehrauli with tents, food and other basic amenities, officials said.

This comes two days after Lt Governor V K Saxena directed the Delhi Development Authority (DDA) to stop demolitions in Mehrauli and Ladha Sarai villages till further instructions.

The DDA, which comes under the BJP-led government at the Centre, had launched the demolition drive in the Mehrauli Archaeological Park area on February 10, triggering protests by locals.

"CM Arvind Kejriwal has issued directions to provide affected families with tents, food and blankets along with other basic amenities. He has directed the district administration to immediately jump into action and ensure that no family is hassled," a government official said. The demolition drive came a month ahead of a proposed G20 meeting in South Delhi.

According to officials, the area has about 55 monuments under the protection of the Archaeological Survey of India, the state archaeology department and the DDA.

Revenue Minister Kailash Gahlot said the matter of demarcation of Mehrauli Archaeological Park in Ladha Sarai came to his notice when he received a representation signed by two residents of the area. "I held a meeting with DM (South) on February 10 when it (I) was informed that the demarcation was carried out in December 2021 on the request of the DDA," he said in an official communication.

The minister said he was also told that the affected people were not informed about the demarcation exercise.

According to officials, the DDA used the revenue department's demarcation as the basis for the demolition of alleged encroachments.

The Delhi government on February 11 announced a fresh demarcation exercise in the area. The BJP has demanded Gahlot's resignation citing the demarcation exercise carried out by his department.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWS अमर उजाला नई दिल्ली | शुक्रवार, 17 फरवरी 2023 ED----------

महरौली में बेघरों को टेंट, खाना उपलब्ध कराएगी दिल्ली सरकार

अंतिम स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल के पास भेजी फाइल

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। महरौली में डीडीए की तोड़फोड़ से बेघर हुए परिवारों की मदद के लिए दिल्ली सरकार आगे आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को प्रभावित लोगों को जरूरी सुविधाओं के साथ टेंट, खाना, कंबल मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने यह फाइल अंतिम स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दी है। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और मदद पहुंचाने को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाना चाहती है। यह पहल उन पीड़ितों के लिए स्वागत योग्य कदम है, जो तोड़फोड़ अभियान में आशियाना गंवाने के बाद गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई सामाजिक कल्याण और न्याय पर बल देने के साथ ही सक्रिय शासन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इससे पहले राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि महरौली पुरातत्व पार्क के सीमांकन मामले की जानकारी दो निवासियों ने दी। यह जानकारी मिलने के तत्काल बाद 10 फरवरी को उन्होंने दक्षिण दिल्ली के डीएम के साथ बैठक की। इस दौरान उन्हें बताया गया कि डीडीए के अनुरोध पर दिसंबर 2021 में सीमांकन किया गया, लेकिन प्रभावित लोगों को सीमांकन के बारे में सूचित नहीं किया गया था। इस कारण उन्होंने 11 फरवरी को दक्षिण दिल्ली के जिलाधिकारी को महरौली पुरातत्व पार्क का नए सिरे से सीमांकन करने के आदेश दिए।

महरौली में निर्माण तोड़े जाने के बाद बेघर हुए बच्चे। फाइल

डीएम ने निर्देशों का नहीं किया पालन

डीएम को सरकार के आदेश से डीडीए अधिकारियों को अवगत कराने का निर्देश दिया था कि इसका फिर से सीमांकन किया जाएगा, लेकिन इन निर्देशों का डीएम ने पालन नहीं किया। इसके बाद 14 फरवरी को फिर उन्होंने डीएम को पत्र के जरिए निर्देशित किया कि सरकार के आदेश से डीडीए अधिकारियों को अवगत कराया जाए, तब डीडीए ने तोड़फोड़ की कार्रवाई बंद की।

डीडीए 20 फरवरी तक विस्तृत हलफनामा दाखिल करे : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने महरौली विध्वंस मामले में बृहस्पतिवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को 20 फरवरी तक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने डीडीए को शुक्रवार तक याचिकाकर्ताओं को अपनी सीमांकन रिपोर्ट देने का निर्देश देते हुए 23 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बनाई रखने को कहा है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को शनिवार तक अपनी संपत्ति का साइट प्लान दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा इस बीच विस्तृत हलफनामे की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी (ई-कॉपी) वकील याचिकाकर्ताओं को भी भेजी जाएगी जो 22 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करेंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे शनिवार रात 12 बजे तक खसरा नंबर पर अपनी संपत्ति की स्थिति दिखाते हुए साइट प्लान या सीमांकन रिपोर्ट दाखिल करें। हाईकोर्ट महरौली में तोड़फोड़ के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इससे पहले अदालत ने संबंधित संपत्तियों के विध्वंस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और डीडीए को एक हलफनामा दाखिल करने और 2021 की सीमांकन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। शुक्रवार • 17 फरवरी • 2023 | राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

पीड़ितों को जरूरी सामान मुहैया कराएगी सरकार : गहलोत

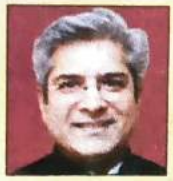

■ मंत्री ने एलजी को भेजा प्रस्ताव

नई दिल्ली (एसएनबी)। दक्षिणी दिल्ली के लाडो सराय में बेघर हुए परिवारों को दिल्ली सरकार टेंट, खाना, कंबल आदि मुहैया कराएगी। दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव की फाइल उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास मंजूरी के लिए भेज दी है। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए राजस्व मंत्री ने यह प्रस्ताव रखा था। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाकर काफी मकानों को गिरा दिया था। आरोप है कि डीडीए ने यह अभियान दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की रिपोर्ट पर चलाया था।

राजस्व मंत्री ने जारी बयान में कहा है कि गलत डिमार्केशन की जानकारी उन्हें वहां के दो लोगों से मिली। यह जानकारी के बाद ही उन्होंने दक्षिणी दिल्ली के जिलाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में बताया गया कि डीडीए के अनुरोध पर दिसम्बर 2021 में सीमांकन किया गया। जिलाधिकारी को दोबारा सीमांकन करने के आदेश दे दिए गए हैं। गहलोत ने बताया कि जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस आदेश से डीडीए के अधिकारियों को अवगत कराएं और नए सिरे से सीमांकन की कवायद शुरू की जाए।

सीमांकन का नक्शा मुहैया कराए डीडीए : हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने महरौली पुरातत्व पार्क के पास लाडो सराय में चल रही दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की अवैध निर्माण हटाए जाने के मामले में याचिकाकर्ताओं से भी अपने घर के नक्शे का साइट प्लान पेश करने को कहा है। साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहते हुए अगली सुनवाई तक अपनी तोड़फोड़ के अभियान पर रोक लगाने को कहा है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने डीडीए से यह भी कहा कि वह याचिकाकर्ताओं की उस सीमांकन का नक्शा मुहैया कराए जिसके आधार पर वह तोड़फोड़ कर रहा है। उन्होंने इसके साथसुनवाई 23 फरवरी के लिए स्थगित कर दी।

■ महरौली इलाके में तोड़फोड़ का मामला

■ याचिकाकर्ता भी अपने घर का साइट प्लान करे पेश, अगली सुनवाई 23 को

डीडीए का कहना है कि वह कोर्ट के आदेश के तहत ही अवैध निर्माण हटाने का अभियान चला रहा है। सरकार के मंत्री ने अपने आदेश में नए सिरे से सीमांकन करने के बाद अवैध निर्माण हटाने की बात कही थी। डीडीए की अवैध निर्माण हटाने पर रोक लगाने की मांग करते हुए महरौली माइनॉरिटी रेजिडेंट एंड शॉप ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका दाखिल की है। उसने मंत्री के आदेश का हवाला देते हुए डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा है कि पहले संबंधित क्षेत्र में संयुक्त सीमांकन कराया जाए और उसके बाद अवैध निर्माण हटाने का अभियान चलाया जाए।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस क्षेत्र में कई मस्जिदें, दरगाहें आदि हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। इसके अलावा कई झुग्गियां हैं। लेकिन डीडीए ने जमीन के मालिक डीयूएसआईबी से परामर्श किए बिना अचानक पूरे क्षेत्र में तोड़फोड़ अभियान शुरू कर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मंत्री के 11 फरवरी के आदेश के बावजूद संबंधित एसडीएम नए सिरे से सीमांकन नहीं कर रहे हैं। डीडीए वर्ष 2021 में किए गए सीमांकन के आधार पर तोड़फोड़ अभियान चला रही है। इसलिए नए सिरे से सीमांकन होने तक डीडीए के कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।

the pioneer
NEW DELHI | FRIDAY | FEBRUARY 17, 2023

Provide tents, food to those affected by DDA demolition drive in Mehrauli: City Govt to admin

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Delhi Government on Thursday directed the South district administration to provide families affected by the recent DDA demolition drive in Mehrauli with tents, food and other basic amenities.

This comes two days after Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena directed the Delhi Development Authority (DDA) to stop demolitions in Mehrauli and Ladha Sarai villages till further instructions. In a statement, Delhi Revenue Minister Kailash Gahlot said that tents, food and other basic amenities to those who were rendered homeless due to demolition, are being provided on the directions of the Chief Minister Arvind Kejriwal.

The DDA, which comes under the BJP-led government at the Centre, had launched the demolition drive in the Mehrauli Archaeological Park area on February 10, triggering protests by locals. "CM Arvind Kejriwal has issued directions to provide affected families with tents, food and blankets along with other basic amenities. He has directed the district administration to immediately jump into action and ensure that no family is hassled," a government official said.

The demolition drive came a month ahead of a proposed G20 meeting in South Delhi. According to officials, the area has about 55 monuments under the protection of the Archaeological Survey of India, the state archaeology department and the DDA.

Revenue Minister Kailash Gahlot said the matter of demarcation of Mehrauli Archaeological Park in Ladha Sarai came to his notice when he received a representation signed by two residents of the area. "I held a meeting with DM (South) on February 10 when it (I) was informed that the demarcation was carried out in December 2021 on the request of the DDA," he said in an official communication.

"The file is now pending with the LG. The move is a welcome step for the victims who have been struggling to make ends meet amidst the demolition drive. The government's swift action in response to the crisis serves as an example of proactive governance with emphasis on social welfare and social justice," he said.

Gahlot also directed the DM (South) to intervene and conduct a fresh demarcation of the land on 11th February 2023. The DM was directed to conduct the demarcation in view of observations made by the Delhi High Court in a related case as well as those of the Supreme Court in the recent Haldwani Railway Land Encroachment Case.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी
DELHI
17 फरवरी, 2023 ▶ शुक्रवार
----------DATED----------

सीएम ने दिए महरौली प्रभावितों को टेंट व भोजन मुहैया कराने के निर्देश

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के महरौली इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की तोड़फोड़ की कार्रवाई में प्रभावित लोगों को टेंट और खाना मुहैया कराने का निर्देश गुरुवार को प्रशासन को दिया। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। इससे दो दिन पहले एलजी विनय कुमार सक्सेना ने डीडीए को महरौली एवं लाडो सराय में अगले निर्देश तक तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया था। केंद्र की भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के अधीन आने वाले डीडीए ने महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क इलाके में 10 फरवरी को तोड़फोड़ की

कार्रवाई की थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने डेमोलिशन से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के समक्ष प्रस्ताव रखा था। जिसमें उन्होंने कहा कि साउथ दिल्ली के लाधा सराय गांव में महरौली पुरातत्व पार्क के सीमांकन मामले की जानकारी मुझे वहां रहने वाले दो निवासियों ने दी।

यह जानकारी मिलने के तत्काल बाद 10 फरवरी को मैंने साउथ दिल्ली के डीएम के साथ बैठक की। बैठक में मुझे बताया गया कि प्रभावित लोगों को सीमांकन की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। प्रस्ताव में राजस्व मंत्री ने बताया कि डीडीए द्वारा डेमोलिशन को रोक दिया गया है। जिला प्रशासन को बेघर हुए जरूरतमंद लोगों के लिए टेंट, भोजन, कंबल आदि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाए।

राजस्व मंत्री के प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी...

महरौली इलाके में तोड़फोड़ से प्रभावित लोगों को राहत देते हुए दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत के प्रस्ताव को गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी देकर दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भेज दिया है। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने डेमालिशन से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल का अभार जताते हुए कहा कि सरकार के इस हस्तक्षेप से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी।

महरौली तोड़फोड़ मामला...

हाईकोर्ट से हलफनामा दाखिल करने के लिए डीडीए को समय

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने महरौली डिमोलिशन ड्राइव के मामले में गुरुवार को डीडीए को समय देते हुए 20 फरवरी तक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने डीडीए को शुक्रवार तक याचिकाकर्ताओं को अपनी सीमांकन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। साथ ही बेंच ने जिक्र किया कि 23 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बढ़ा दी गई है। जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा ने याचिकाकर्ताओं को शनिवार यानी 18 फरवरी तक अपनी संपत्ति का साइट प्लान दाखिल करने का भी निर्देश दिया। बेंच ने डीडीए को प्रमुख मामलों में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और कल तक याचिकाकर्ता के वकील को सीमांकन की एक प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। इस बीच विस्तृत हलफनामे की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी (ई-कॉपी) वकील याचिकाकर्ताओं को भी भेजी जाएगी, जो 22 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करेंगे। बेंच ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे शनिवार की रात 12 बजे तक खसरा नंबर पर अपनी संपत्ति की स्थिति दिखाते हुए साइट प्लान या सीमांकन रिपोर्ट दाखिल करें। बता दें कि हाईकोर्ट महरौली इलाके में विध्वंस के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने संबंधित संपत्तियों के विध्वंस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

दैनिक भास्कर | नई दिल्ली, शुक्रवार 17 फरवरी, 2023 | 03

डीडीए द्वारा किए गए डिमॉलिश से बेघर फाइल एलजी के पास लंबितः सीएम

नई दिल्ली | महरौली में केंद्र सरकार की डीडीए द्वारा किए गए डेमोलिशन से बेघर हुए परिवारों के साथ दिल्ली सरकार खड़ी हो गई है। गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने मेहरौली में डेमोलिशन के चलते बेघर हुए परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ टेंट, खाना, कंबल मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए फाइल को एलजी के पास भेज दिया है जहां यह फाइल लंबित है। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और मदद पहुंचाने को लेकर सीएम केजरीवाल के समक्ष प्रस्ताव रखा था। राजस्व मंत्री ने डेमालिशन से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल का अभार जताते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि सरकार के इस हस्तक्षेप से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी। बता दें कि डीडीए ने महरौली पुरातत्व पार्क के विवादित सीमांकन के बहाने लाधा सराय गांव में कई घरों को गिरा दिया है। इसके चलते कई परिवार बेघर हो गए हैं और उनके पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAP नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 17 फरवरी 2023 DATED----------

पूर्वी दिल्ली के शेल्टर होम पर हथौड़े से पहले रहने की व्यवस्था करें: HC

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

DDA को ईस्ट दिल्ली में बेघर गरीब लोगों के लिए बनाए गए दो शेल्टर होम पर हथौड़ा चलाने से पहले वहां रहने वाले लोगों को कोई वैकल्पिक जगह देनी होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अथॉरिटी को यह आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने कहा कि DDA लोगों को रहने की वैकल्पिक जगह देने के साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि जगह का इस्तेमाल उसकी पूरी क्षमता के साथ हो। अदालत में अर्जी देकर डीडीए के 6 जनवरी के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें ईस्ट दिल्ली के दो शेल्टर होम को तोड़े जाने की सूचना दी गई थी। उनमें से एक लक्ष्मी नगर, रेलवे फ्लाइओवर के पास शकरपुर में और दूसरा अक्षरधाम मंदिर के पास मेट्रो स्टेशन के किनारे स्थित है। ▸▸पेज 6

कोर्ट में अर्जी देकर DDA का 6 जनवरी का आदेश रद्द करने की मांग की गई

आदेश था कि ईस्ट दिल्ली के दो शेल्टर होम को तोड़ा जाए।

महरौली में तोड़फोड़ से राहत बरकरार

महरौली के खसरा नंबर 1151/3 में स्थित संपत्तियों को तोड़फोड़ से मिली अंतरिम राहत फिलहाल बरकरार रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को फ्लैट मालिकों के दावों के आधार पर उनकी संपत्ति के बारे में जवाब देने के लिए वक्त दे दिया। मामले में अब अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। हाई कोर्ट ने कहा कि तब तक अंतरिम आदेश बरकरार रहेंगे, जो याची की संपत्तियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने से जुड़े हैं।

अक्षरधाम मंदिर के पास बने शेल्टर होम पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी

शेल्टर होम ढहाने से पहले आश्रितों को देनी होगी वैकल्पिक जगह

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

- HC ने गुरुवार को यह आदेश डीडीए को जारी किया
- ईस्ट दिल्ली के दो शेल्टर होम में रहने वाले बेघरों से नहीं छिनेगा उनका आसरा

डीडीए को ईस्ट दिल्ली में बेघर गरीब लोगों के लिए बने दो शेल्टर होम पर अपना बुलडोजर चलाने से पहले यहां रहने वालों को वैकल्पिक जगह देनी होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को यह आदेश डीडीए को जारी किया।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने आदेश दिया कि डीडीए वैकल्पिक आवास देने के साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि वहां पर मौजूद जगह का इस्तेमाल उसकी पूरी क्षमता के साथ हो। इस आदेश के साथ हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार एलेड़िया की याचिका का निपटारा कर दिया, जिसका जिक्र गुरुवार को ही बेंच के सामने किया गया। याचिकाकर्ता के वकील कमलेश कुमार मिश्रा ने मामले में तत्काल न्यायिक दखल की कोर्ट से मांग की। कोर्ट को तथ्यों से अवगत कराते हुए वकील ने कहा कि अथॉरिटीज को कम से कम इतना तो सुनिश्चित करना ही चाहिए कि शेल्टर होम तोड़ने से पहले वहां रहने वालों को किसी वैकल्पिक जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। उन जगहों का इस्तेमाल उनकी पूरी क्षमता के साथ हो।

दरअसल, याचिका में डीडीए के 6 जनवरी के उस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई, जिसके जरिए ईस्ट दिल्ली के दो शेल्टर होम को तोड़े जाने की सूचना दी गई। इनमें से एक लक्ष्मी नगर, रेलवे फ्लाईओवर के पास शकरपुर में (कोड नंबर 95) और दूसरा अक्षरधाम मंदिर के पास(कोड नंबर 131) मेट्रो स्टेशन के किनारे है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को यह निर्देश देने का कोर्ट से अनुरोध किया कि तोड़फोड़ से पहले शेल्टर होम को रीलोकेट कर दिया जाए। तीसरी मांग, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत शहरी बेघरों के लिए बनी रिवाइज्ड गाइडलाइंस/ स्कीम ऑफ शेल्टर्स लागू करने के संबंध में उठाई।

भूकंप से दिल्ली को खतरे पर HC बोला, अपने जीवन को लेकर हम सब चिंतित हैं

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में भूकंप से बचाव को लेकर तैयारियों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अपने जीवन को लेकर हर कोई चिंतित है। हाई कोर्ट ने कहा कि वाद को लेकर कुछ भी विरोधात्मक नहीं है और अथॉरिटीज भी स्थिति से वाकिफ हैं। तुर्किए और सीरिया में 6 फरवरी को 7.8 की तीव्रता से आए भूकंप का जिक्र करते हुए याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली सिस्मिक जोन 4 (बेहद संवेदनशील जोन) में आती है।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि वे (अथॉरिटीज) भी स्थिति से अवगत हैं। याचिका में कुछ भी विरोधात्मक नहीं है। हम सभी अपने जीवन को लेकर चिंतित हैं, इसीलिए उन्हें अपनी रिपोर्ट दायर करने दीजिए। इन टिप्पणियों के साथ हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए चार हफ्तों का वक्त दिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय कर दी। मौजूदा याचिका में एडवोकेट अर्पित भार्गव ने दावा किया कि दिल्ली में इमारतों की भूकंपीय स्थिरता बहुत खराब है।

NBT नज़रिया

यह एक ऐसा मसला है, जिसकी गंभीरता से तो सब परिचित हैं पर स्थितियों को बेहतर करने के लिए कोई गंभीर नजर नहीं आता। बिना भूकंप के ही आए दिन जर्जर इमारतों के गिरने का सिलसिला जारी है। पुरानी दिल्ली के घने बसे पुराने इलाकों के अलावा ऐसी कई सोसाइटी भी हैं, जो जर्जर हो चुकी हैं। इन्हें नए ढंग से बनाने की पॉलिसी पर डीडीए को जल्द काम करने की जरूरत है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023

NAME OF

CM: Provide tents, food to affected people in Mehrauli

TIMES NEWS NETWORK

Anindya Chattopadhyay

HC had on Tuesday ordered a status quo of properties in the area

New Delhi: Chief minister Arvind Kejriwal on Thursday directed the South district administration to provide families affected by the recent demolition drive in Mehrauli with tents, food and other basic amenities. This came two days after lieutenant governor VK Saxena directed Delhi Development Authority (DDA) to stop demolitions in Mehrauli and Ladha Sarai villages till further instructions.

"Kejriwal has issued directions to provide affected families with tents, food, blankets and other basic amenities. He has directed the district administration to immediately swing into action and ensure that no family is hassled," a government official said.

The demolition drive came a month ahead of a proposed G20 meeting in South Delhi.

"Given the severity of the situation, Kejriwal has approved a proposal to provide affected families with tents, food, blankets and other essential supplies. The file is now pending with the LG," said Delhi government in a statement.

"The DDA's demolition drive left hundreds of people without shelter or basic amenities. Opposing this, Delhi government intervened to stop the demolition and ordered a fresh demarcation of the disputed area through orders of revenue minister Kailash Gahlot," it added.

"On February 9 and 10, the government had received representations from the residents of the affected area and MLA Somnath Bharti regarding the drive. It was stated in the said representations that the demarcation carried out was illegal and was neither done in accordance with law nor the principles of natural justice," the government stated.

The government further said that it was learnt that DDA had issued a demolition order on December 12 last year. However, the drive was started on February 10 and DDA recklessly demolished various old constructions, alleging that they stood on government land, it added.

DDA earlier claimed that the demolition action was taken because the area was forest land. There is a comprehensive management plan for conservation of Mehrauli Archaeological Park, which will be implemented to make the place popular among tourists, including those coming from other countries, it stated.

HC grants DDA time to file affidavit in demolition case

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi High Court on Thursday directed Delhi Development Authority to file an e-copy of the demarcation report pertaining to the Mehrauli properties by Friday. Justice Manmeet Pritam Singh Arora also directed all the petitioners to file a rejoinder on or before February 22 and said that an affidavit be filed by DDA on February 20.

The next hearing of the matter is scheduled for February 23 at 3.30pm. The short affidavit is to be filed and to be supplied to the counsel of each petitioner in the matter.

The court has also directed the petitioners to file the site plan or demarcation report of their property showing its location on the khasra number by 12 pm on Saturday.

The court was hearing a batch of petitions filed by some affected property owners for halting the DDA's demolition drive in the Mehrauli Archaeological Park area.

On Tuesday, the court had directed for maintenance of status quo of properties in the south Delhi area. Again on Wednesday, the high court ordered status quo on the demolition action by DDA in the area till February 16 while hearing three fresh petitions challenging the ongoing demolition drive.

Meanwhile, Aam Aadmi Party MLA Naresh Kumar Yadav on Wednesday withdrew his plea challenging the demolition drive carried out by DDA after Delhi High Court said that "the writ is in public nature as the petitioner is not aggrieved in the matter." The court, however, granted him liberty if he wished to file a public interest litigation.

Yadav contended that the demolition action was being carried out in utmost haste on certain buildings, affecting around 1 lakh residents of the area. He claimed that DDA was demolishing the houses without verification of the title deeds, without relying on the demarcation report and without giving any show-cause notices to the residents.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 17 फरवरी 2023

पुराना रैन बसेरा साफ, लोग तंबुओं में शिफ्ट

सराय काले खां मेट्रो स्टेशन के पास बनी पार्किंग में नए तंबू लगाकर लोगों को शिफ्ट किया गया

Prashant.Soni@timesgroup.com

■ नई दिल्ली: सराय काले खां में डूसिब के जिस रैन बसेरे को बुधवार सुबह डीडीए की टीम तोड़ गिराया था, वह जगह अब मैदान में तब्दील हो गई है। चौबीस घंटे के अंदर ही मलबे को पूरी तरह से हटाकर जगह को साफ कर दिया गया और वहां एक गार्ड भी बैठा दिया गया।

एक नोटिस भी चिपका दिया गया है कि यहां बने रैन बसेरे को अब सराय काले खां मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 के पास बनी पार्किंग में शिफ्ट कर दिया गया है। यह जगह असल में डूसिब का ही एक बड़ा शेल्टर कॉम्प्लैक्स है, जहां पहले से ही कई सारे रैन बसेरे बने हुए हैं और कई लोग यहां रह रहे हैं। उसी कॉम्प्लैक्स के एक हिस्से में खाली जगह पर कुछ नए तंबू लगाकर लोगों को वहां शिफ्ट किया गया है। हालांकि, यह जगह पहले के मुकाबले काफी छोटी है। पुराने रैने बसेरे का रखरखाव करने वाले एनजीओ के लोग ही यहां भी सारी व्यवस्था संभाले हुए थे।

सराय काले खां में डीडीए ने तोड़ गिराया था रैन बसेरा

केयरटेकर्स ने बताया कि इस कॉम्प्लैक्स में 6 स्थायी और 4 अस्थायी शेल्टर हैं। जिन लोगों को पुराने रैन बसेरे से यहां शिफ्ट किया गया, उनके लिए यहां 2 नए शेल्टर बनाए गए हैं।

मैदान में तब्दील हो चुका है रैन बसेरा

बुधवार शाम को ही लोगों को यहां शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि, पहले वाले रैन बसेरे में 54 बेड लगे थे और मंगलवार की रात को 44 लोग वहां रुके थे। बुधवार रात को नई जगह पर केवल 20 बेड ही लग पाए थे और 34 लोग वहां शिफ्ट हुए थे। ऐसे में कुछ लोगों को यहां पहले से बने दूसरे शेल्टरों में रात बितानी पड़ी। केयरटेकर्स ने बताया कि पुराने रैन बसेरे में लगे जो बेड्स यहां लाए गए हैं, उनको रात तक लगा दिया जाएगा, जिसके बाद लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। शिफ्ट किए गए कुछ लोगों ने यहां पक्के टॉयलेट्स के अभाव की शिकायत करते हुए कहा कि पुराने रैन बसेरे में इससे ज्यादा अच्छे टॉयलेट्स बने हुए थे।

इस कॉम्प्लैक्स में एक मोहल्ला क्लिनिक भी बना हुआ है, लेकिन वह बंद पड़ा था। परिवार के साथ रहने वालों के लिए एक अलग शेल्टर की भी व्यवस्था थी। बाकी रैन बसेरों की तरह यहां पर भी लोगों को सुबह में चाय-बिस्किट और दो वक्त का भोजन मिलेगा। मगर असल दिक्कत आने-जाने की है। सराय काले खां इलाके में रैपिड रेल का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसकी वजह से यहां जगह-जगह बैरिकेड लगा दिए गए हैं और पैदल चलने तक के लिए पर्याप्त जगह तक नहीं बची है। खासकर रैन बसेरे के आस-पास बेहद कम जगह रह गई है और हर तरफ गंदगी का आलम है। ऐसे में बेघर लोगों के लिए यहां तक आना-जाना भी आसान नहीं होगा।

लोगों ने बयां की तकलीफ

"जिस रैन बसेरे को तोड़ा गया, उसमें ढाई साल से रह रहा था। ये आरोप एकदम गलत है कि वहां अपराधी रहते थे। छोटे-मोटे झगड़ों की बात अलग है, लेकिन कभी कोई खूनखराबा नहीं हुआ।
- उमेश चंद्र

"मैं ढाई महीने से उस रैन बसेरे में रह रहा था। वहां बढ़िया सुविधाएं दी हुई थीं। यहां उतनी अच्छी सुविधाएं तो नहीं हैं, लेकिन हमारे पास नई जगह रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। *- अनिल कुमार*

"हमें अब दूसरे रैन बसेरे में शिफ्ट कर दिया है। मैंने भी वहीं रात गुजारी। भीड़ ज्यादा है और सफाई भी उतनी नहीं है। इसी वजह से काफी सारे लोग वहां जाने के बजाय दूसरी जगह चले गए। *- हरीश कुमार*

"नई जगह मेन रोड से काफी अंदर है। लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं है। जिन लोगों को हटाया है, उनके लिए वहां नए तंबू लगा दिए हैं। मगर वो वैसा रैन बसेरा नहीं है, जैसा यहां था। *- जगदीश चंद्र*

महरौली में तोड़फोड़ से राहत रहेगी बरकरार

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

महरौली के खसरा नंबर 1151/3 में तोड़फोड़ से मिली अंतरिम राहत फिलहाल बरकरार रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को फ्लैट मालिकों के दावों के आधार पर उनकी संपत्ति के बारे में अपना जवाब देने के लिए गुरुवार को वक्त दे दिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख तय कर दी। कोर्ट ने कहा कि तब तक अंतरिम आदेश बरकरार रहेंगे, जो याची संपत्तियों के संबंध में यथा-स्थिति बनाए रखने से जुड़े हैं।

जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने आदेश में कहा कि डीडीए मेन मामलों में डिटेल एफिडेविट फाइल करना चाहता है, जो हर याचिकाकर्ता के अपनी संपत्ति से जुड़े टाइटल और पजेशन के संबंध में किए गए दावों के हिसाब से होगा। कोर्ट ने डीडीए की इस दलील को रिकॉर्ड पर ले लिया कि वह जिस डिमार्केशन रिपोर्ट पर भरोसा करके चल रहा है और जिसके आधार पर 12 दिसंबर 2022 को डिमोलिशन का आदेश जारी किया गया, वो 2021 की रिपोर्ट है, 2019 की नहीं। गलती से पिछले आदेश में उस रिपोर्ट को 2019 का बताया गया।

कोर्ट ने इस रिपोर्ट की ई-कॉपी सभी याचिकाकर्ताओं को मुहैया कराने का अथॉरिटी को निर्देश दिया। साथ ही उन्हें यह निर्देश भी दिया कि अगर उनके पास अपने मकान की फिजिकल लोकेशन स्थापित करने के लिए कोई साइट प्लान हो तो वो उसे अथॉरिटी के सामने जरूर रखें। कुछ याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में तहसीलदार से मिली डिमार्केशन रिपोर्ट होने का दावा किया है, इसके मद्देनजर कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि वे उस रिपोर्ट को भी अथॉरिटी के सामने रख सकते हैं। इसके लिए दिन और वक्त तय करते हुए हाई कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख तय कर दी।

कोर्ट से इन्हें राहत मिली

हाई कोर्ट ने यह आदेश महरौली गांव के खसरा नंबर 1151/3 में मौजूद अपार्टमेंट और फ्लैट से जुड़ी कई याचिकाओं के संबंध में पारित किया। 17 से ज्यादा संपति मालिकों की ओर से दायर एक याचिका प्लॉट नंबर C-8, C-10, C-11, C-14, C-15, C16, C-20 and C-24 में बने अपार्टमेंट में रहने वालों की है। ये सभी प्लॉट महरौली गांव के वॉर्ड नंबर-8 में आते हैं। कोर्ट ने 10 फरवरी को इनकी संपत्तियों के संबंध में यथास्थिति का आदेश जारी करते हुए डीडीए से याचिकाओं पर उसका रुख पूछा था। इसी तरह का आदेश अमरदीप सिंह बहल व अन्य, रघू राय की याचिका के संबंध में भी पारित किया गया। उसके बाद भी इसी तरह की कुछ और याचिकाएं हाई कोर्ट में आई हैं।

बेघर हुए लोगों की मदद करने के प्रस्ताव को CM की मंज़ूरी, LG के पास फाइल

■ विस, नई दिल्ली : महरौली में डीडीए के द्वारा किए गए डिमोलिशन की वजह से बेघर हुए परिवारों की सहायता के लिए दिल्ली सरकार आगे आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ टेंट, खाना, कंबल आदि मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यह फाइल एलजी के पास लंबित है।

दिल्ली सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और मदद पहुंचाने को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था, जिसे सीएम ने मंजूरी दे दी। इसके लिए सीएम अरविंद केजरीवाल का आभार जताते हुए कैलाश गहलोत ने कहा कि मुझे विश्वास है कि सरकार के इस हस्तक्षेप से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार का दावा है कि डीडीए ने महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के विवादित सीमांकन के बहाने लड्डा सराय गांव में कई घरों को गिरा दिया है। इससे कई परिवार बेघर हो गए हैं और उनके पास बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव है। सीएम को भेजे गए प्रस्ताव में राजस्व मंत्री ने बताया कि जब उन्हें लड्डा सराय गांव में किए गए गलत सीमांकन और उसके आधार पर किए जा रहे डिमोलिशन की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत 10 फरवरी को डीएम (साउथ) के साथ बैठक की। उसमें उन्हें बताया गया कि डीडीए के अनुरोध पर दिसंबर 2021 में सीमांकन किया गया था। प्रभावित हुए लोगों को सीमांकन के बारे में पहले से कोई सूचना भी नहीं दी गई थी। 11 फरवरी को उन्होंने डीएम (साउथ) को नए सिरे से सीमांकन कराने को कहा।

साथ ही, डीडीए अधिकारियों को सरकार के इस आदेश से अवगत कराने का निर्देश भी दिया था, इसके बावजूद डीएम (साउथ) ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद 14 फरवरी को उन्होंने दोबारा डीएम को निर्देशित किया कि डीडीए के अधिकारियों को सरकार के आदेश से अवगत कराया जाए।

दिल्ली सरकार ने इन कारणों से सीमांकन को गलत बताया

1. लड्डा सराय गांव घनी आबादी वाला क्षेत्र है और वहां बहुत पुराने घर बने हुए हैं। यह एक स्वीकृत स्थिति है।
2. प्रभावित क्षेत्र में सीमांकन से पहले कब्जाधारियों को कोई नोटिस नही दिया गया। पीड़ितों की कोई सुनवाई नही हुई।
3. लड्डा सराय गांव का शहरीकरण बहुत पहले हो गया था, इसलिए राजस्व विभाग रिकॉर्ड को अपडेट नही कर रहा था।
4. डीडीए ने राजस्व विभाग से प्रभावित क्षेत्र में सीमांकन का अनुरोध किया था। उनका इरादा वहां डेमोलिशन अभियान चलाने का था।
5. राजस्व अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र का सीमांकन करने से पहले कानूनी प्रावधानों पर विचार नही किया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023 ----------DATED----------

After demolition drive, new worry for locals in Mehrauli — skyrocketing rent

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, FEBRUARY 16

WHILE L-G VK Saxena has halted the DDA's demolition drive in Mehrauli, those whose houses were razed in the past week are running from pillar to post to find shelter and food. Locals also claimed the rent for a single room in Mehrauli has skyrocketed following the demolition.

Sitting amid the rubble, Imrana said, "There were 8-9 houses here, and all were demolished. We now don't know where to go and what to do to prove our ownership. We do have papers. Rent of a single room have been raised from Rs 6,000 to Rs 10,000 per room. We are poor, surviving by selling tea at tourist sites. So far, no one from the government has come here to help us..."

Imrana and her family

The Delhi government has approved immediate aid and relief to those left homeless. "The CM has approved a proposal to provide affected families with tents, food, blankets, and essential supplies. The file is now pending with the L-G...," it said in a statement.

Some residents have sought shelter at a gurdwara. Jasmine Kaur, who used to live in a three-storey flat, along with her eight family members, said. "... The gurdwara committee gave us space in their basement to stay and to keep our belongings, but there are families sleeping on roads... My son has his class 12 boards soon and he cannot find his books and notes..."

Hindustan Times · NEW DELHI FRIDAY FEBRUARY 17, 2023

Provide tents, blankets to those hit by Mehrauli drive: Kejriwal

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Chief minister Arvind Kejriwal on Thursday directed the south district administration to provide tents, food, blankets and other basic amenities to families rendered homeless during Delhi Development Authority (DDA)'s recent anti-encroachment drive in Mehrauli. "Given the severity of the situation, CM Arvind Kejriwal has approved a proposal to provide affected families with tents, food, blankets, and other essential supplies. The file is now pending with the lieutenant governor (LG)," the Delhi government said in a statement.

Revenue minister Kailash Gahlot had recently sent the chief minister a proposal seeking to address the concerns of the affected families, which the CM approved on Thursday, a Delhi government official said.

HT on Thursday highlighted the plight of those hit by the anti-encroachment drive. Some residents have moved in with their relatives or to rented houses, but most are homeless and continue to stay at the demolition site. The anti-encroachment drive has so far affected at least 135 houses, according to police officers involved in the operation.

DDA officials said they had, till Monday evening, reclaimed at least 4,180.6 square metres of land from Ladha Sarai village, but did not clarify how much encroachment remains.

LG Saxena on Tuesday told DDA to halt the demolition drive, which took place from February 10 to 14, and to examine documents of those affected. LG is the chairman of DDA.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWS हिन्दुस्तान, शुक्रवार, 17 फरवरी 2023 ----------DATED----------

गिरा देने चाहिए अवैध निर्माण

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान सुर्खियों में है। हालांकि, लोग इसके औचित्य के सवाल पर बंटे हुए हैं। कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ विरोध।

दिल्ली में चारों तरफ नजर दौड़ाई जाए, तो आपको गैर-कानूनी निर्माण-कार्यों की भरमार दिखेगी। इन अवैध निर्माण कार्यों के कारण न सिर्फ यातायात प्रभावित होता है, बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी ब्रेक लग जाता है। फिर भी, अवैध निर्माण खूब देखे जाते हैं, भले ही सरकार किसी पार्टी की हो। यहां तक कि सरकारी जमीनों पर भी बड़ी-बड़ी कॉलोनियां बस जाती हैं। क्या इनको हटाया नहीं जाना चाहिए? मगर जैसे ही वहां बुलडोजर पहुंचता है, वोट बैंक के कारण राजनीति गरमा जाती है और सत्ता पक्ष व विपक्ष एक-दूसरे पर दोषारोपण में रम जाते हैं। यह स्थिति तब है, जब न्यायपालिका भी अवैध निर्माण को गिराने की पक्षधर रही है। दिल्ली के महरौली इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का इसीलिए समर्थन किया जाना चाहिए। अवैध निर्माण हटाकर यहां के रास्तों को चौड़ा बनाया जा सकता है। अक्सर यही देखा गया है कि अवैध निर्माणों के कारण यहां कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए भूमि अतिक्रमण को रोकना ही होगा। सरकारी तंत्र अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन ईमानदारी से करे।

मीना धानिया

दोषियों पर कार्रवाई हो

दिल्ली के महरौली इलाके में चले अतिक्रमण हटाओ अभियान का स्वागत करना चाहिए। ऐसी ही सख्ती गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर भी दिखाने की आवश्यकता है, जहां लोगों के पास रजिस्ट्री के पेपर तक हैं। साफ है, यह एक गंभीर मसला है और मामले की पूरी जांच-पड़ताल होनी चाहिए। दिक्कत यह है कि स्थानीय प्राधिकरण या प्रशासन में कुछ ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी हैं, जिनके कारण यहां अतिक्रमण बना हुआ है। संभव हो, तो ऐसे कर्मियों की सूची बनाई जानी चाहिए और उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे कर्मियों को दंडित करना जरूरी है, तभी अतिक्रमण या अवैध निर्माण की समस्या का स्थायी हल हो सकेगा। सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए, तभी लोग सबक सीखेंगे।

शैलेश गौतम

उनकी सिसकियां भी सुनिए

दिल्ली के महरौली में डीडीए द्वारा चलाया गया अतिक्रमण रोधी अभियान बेहद अमानवीय है। अपना घर लोगों का एक बड़ा सपना होता है, जिसे पूरा करने के लिए वे अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगा देते हैं। ऐसे में, इस सपने का टूटना कितना पीड़ादायक होता है, यह सिर्फ वही समझ सकता है, जो इस स्थिति से गुजर चुका है। क्या मानवता नाम की चीज नहीं बची है? अतिक्रमण हटाने वाले अधिकारियों को क्या महिलाओं और बच्चों के आंसू नहीं दिख रहे? किसी के सिर पर से छत का हटना बहुत ही भयावह स्थिति होती है। उन लोगों के घरों की रजिस्ट्री भी हो गई थी, तो तब क्यों नहीं यह मसला उठा? इतने लंबे अंतराल के बाद इन मुद्दों को उठाना राजनीति ही है। यह आम इंसान की समझ से बाहर है, जिनकी वर्षों की मेहनत को चंद मिनटों में मिट्टी में मिला दिया गया। लोगों की सिसकियां बहुत कुछ कहती हैं। काश, कोई उन्हें सुनने वाला होता!

शैलबाला कुमारी

असली गुनहगार को पकड़ें

दिल्ली के महरौली में पुलिस बल का प्रयोग करके लोगों के घर गिरा दिए गए। किसके दोष का दंड किसे मिल रहा है? डीडीए के अधिकारी और फील्ड अधिकारी के सामने एक पूरी इमारत खड़ी हो जाती है, कई एकड़ में आबादी बस जाती है और फिर यही लोग अंत में उस निर्माण-कार्य को अतिक्रमण बताकर तोड़ने का नोटिस भेज देते हैं। अधिकारियों द्वारा पहले बिल्डर्स से आबादी बसाने की रिश्वत ली जाती है, और फिर उन्हें बचाने की। सरकार का राजस्व विभाग रजिस्ट्री कर लेता है और फील्ड ऑफिसर्स हर फ्लोर के खड़ा होने पर पैसा कूटने पहुंच जाता है। बिजली विभाग मीटर लगा देता है, तो दूरसंचार विभाग फोन। यहां तक कि बैंक अधिकारी भी रिश्वत लेकर उन प्रोजेक्ट्स पर कर्ज मंजूर कर लेता है। ऐसे में, अतिक्रमण-कार्यों का लाभार्थी किसे माना जाए और दोषी किसे?

अखिल

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
शुक्रवार
17 फरवरी 2023

महरौली में अतिक्रमण हटाने पर लगी रोक की अवधि बढ़ी

- तोड़फोड़ मामले में 20 तक जवाब दे डीडीए
- मामले की अगली सुनवाई दस मई को

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उच्च न्यायालय ने दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में डीडीए द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश की अवधि एक सप्ताह बढ़ा दी है। कोर्ट ने डीडीए को मामले में सोमवार तक अपना विस्तृत हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है।

जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इसके साथ ही डीडीए को शुक्रवार तक इलाके की सीमांकन रिपोर्ट सभी याचिकाकर्ताओं को मुहैया कराने का आदेश दिया है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं से भी शनिवार तक नक्शा पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 23 फरवरी तक के लिए डीडीए को इलाके में यथास्थिति का आदेश दिया है।

बेघरों के लिए इंतजाम P03

बेघरों के लिए रहने-खाने की व्यवस्था करेगी सरकार

- महरौली में अतिक्रमण अभियान के बाद से सैकड़ों लोग हैं परेशान
- दिल्ली सरकार ने एलजी के पास स्वीकृति के लिए फाइल भेजी

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से महरौली में चले अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद बेघर हुए लोगों के लिए दिल्ली सरकार रहने और खाने की व्यवस्था करेगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें बेघर लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। अंतिम मंजूरी के लिए फाइल को उपराज्यपाल को भेजी गई है।

गहलोत ने बताया कि महरौली में हुई तोड़फोड़ से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री के सामने यह प्रस्ताव रखा गया था। केजरीवाल ने उसे मंजूर कर लिया है। केजरीवाल सरकार के इस हस्तक्षेप से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी।

डीडीए ने पिछले दिनों महरौली में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। इस दौरान कई इमारतें भी गिराई, जिसके कुछ लोग बेघर हो गए। दिल्ली सरकार की ओर से नए सिरे से नामांकन के आदेश के बाद भी वहां पर तोड़फोड़ जारी रही। हालांकि, अब उपराज्यपाल ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब सरकार उन बेघर हुए लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रही है।

प्रभावित लोगों ने न्याय की गुहार लगाई : महरौली के पीड़ित परिवारों ने मांग की है कि उनकी मदद की जाए। उन्होंने दावा किया कि तमाम दस्तावेज दिखाने के बाद भी अधिकारियों ने उनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया।

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2023 दैनिक जागरण

महरौली के प्रभावितों को टेंट और भोजन मुहैया कराने के निर्देश

राब्यू, नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महरौली इलाके में डीडीए की तोड़फोड़ की कार्रवाई में प्रभावित लोगों को टेंट और खाना मुहैया कराने के लिए प्रशासन को निर्देश दिया है। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने तोड़फोड़ से प्रभावित परिवारों को सहायता देने को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा था, जिस पर उन्होंने स्वीकृति दे दी।

अरविंद केजरीवाल

राजस्व मंत्री ने प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए केजरीवाल का आभार भी जताया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अब इस प्रस्ताव को सीएम ने मंजूरी देकर एलजी को भेज दिया है। उनकी मंजूरी मिलने का इंतजार है। गहलोत ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का यह समर्थन उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि दिल्ली सरकार अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी।

भाजपा ने की महरौली प्रकरण पर चर्चा के लिए विस सत्र बुलाने की मांग

राब्यू, नई दिल्ली : महरौली में हुई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर चर्चा के लिए भाजपा ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण महरौली में लोगों के मकान तोड़े गए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने भी अधिकारियों के सर्वे में गलती होने की बात स्वीकार की है।